बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं०सं०–9/विविध–13–01/2021(स्वा०) .... /पटना, दिनांकः–..................

आयुक्त के सचिव, पटना प्रमण्डल, पटना के पत्रांक–1349 दिनांक–30.08.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष–2008–2012 में मुख्यमत्री सामर्थ्य योजना के तहत सरकारी आदेशो की अवहेलना करते हुये 98.67 लाख के कृत्रिम अंग एवं उपकरण यथा–तीन पहिया साईकिल, श्रवण यत्र एवं वैशाखी, कैलीपर की क्रय मे कुल 15.36 लाख रूपये का अधिक भुगतान करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. डा0 प्रणव कुमार, तत्कालीन सिविल सर्जन, पटना के विरूद्ध अनुमोदित संस्थान से इतर अन्य संस्थान से उच्च दर पर कृत्रिम अगो का क्रय करने के आरोप मे विभागीय ज्ञापन सं0–654(9) दिनांक–16.08.2022 द्वारा आरोप–पत्र गठित कर स्पष्टीकरण की मॉग की गयी।

3. डॉ0 कुमार द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित कर अवगत कराया गया है कि वे मात्र क्रय समिति में सदस्य के रूप में मनोनित थे। दिनांक–25.06.2008 को स्क्रिनिंग समिति के बैठक में तत्कालीन सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, पटना एवं तत्कालीन उप विकास आयुक्त, पटना एवं तत्कालीन जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा निविदा प्रकाशित कर क्रय करने का निर्णय लिया गया।

4. सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3025 दिनांक–02.07.2024 द्वारा वित्त विभाग, बिहार से प्राप्त परामर्श के आलोक में डा0 प्रणव कुमार से 2.56 लाख रूपये वसूल करने की अनुशंसा किया गया है।

5. डा0 कुमार दिनांक–30.11.2009 को वार्धक्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं। विभागीय पत्राक–719(3) दिनाक–23.07.2010 एवं 492(3) दिनांक–12.02.2022 द्वारा डा0 कुमार को पूर्ण पेंशन भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

6. डा0 कुमार के सेवानिवृत्ति की अवधि चार वर्ष से अधिक होने एवं पेशन स्वीकृति की अवधि तीन वर्ष से अधिक होने के कारण पेंशन से कटौती करने पर वैधानिक अडचन उत्पन्न होने की स्थिति मे वित्त विभाग से परामर्श की मॉग की गयी। वित्त विभाग द्वारा पेशन से कटौती करने के बिन्दु पर विधि विभाग से परामर्श प्राप्त करने का परामर्श दिया गया ।

7. विधि विभाग, बिहार द्वारा परामर्शित किया गया है कि डा0 प्रणव कुमार दिनाक–30.11.2009 को वार्धक्य सेवानिवृत्त हो चुके है। ऐसी स्थिति में वित्तीय वर्ष–2008–2012 में अधिकाय भुगतान के आरोप में उनके पेंशन से राशि की कटौती किया जाना नियमसगत नहीं होगा।

8. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा0 कुमार के विरूद्ध गठित आरोप–पत्र, प्रत्युत्तर तथा वित्त विभाग एवं विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में उनके विरूद्ध विभागीय ज्ञापन सं0–654(9) दिनांक–16.08.2022 द्वारा गठित अनियमित रूप से क्रय करने के आरोप प्रकरण को संचिकास्त करने का विनिश्चय किया गया।

9. अतएव डा0 प्रणव कुमार, तत्कालीन सिविल सर्जन, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध अनियमित रूप से कृत्रिम अंगो के क्रय करने के आरोप प्रकरण को संचिकास्त किया जाता है।

10. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

16/05/2025

(15)

ज्ञापांकः–9/विविध–13–01/2021(स्वा0) 463(9) / **पटना, दिनांकः–** 16.05.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले० एव ह0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के सचिव/ सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डा0 प्रणव कुमार, तत्कालीन सिविल सर्जन, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त पत्राचार का पताः–गौडी शंकर आपर्टमेंट, पोस्ट– सदाकत आश्रम, थाना–पाटलीपुत्र, जिला– पटना, पिन–800010 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट मे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

16/05/2025

सरकार के अवर सचिव।